

प्रेषक,

मुख्य कारखाना / ब्वायलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

सेवामें,

श्री आलोक कुमार तिवारी,
प्रोपराईटर / निदेशक,
मै0 के0आर0 टैक्नोसेफ इंजीनियर्स,
द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, ओमेक्स एवेन्यू,
रायबरेली रोड, लखनऊ ।

पत्र सं0 १४ एफ / स0व्य0 / धारा-21,28,29, तथा 31

दिनांक :- 12/02/26

विषय:- कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-21(2), 28, 29 तथा 31 के अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 10.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो इस कार्यालय में दिनांक 12.12.2025 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-21(2), 28, 29, तथा 31 के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति का प्रमाण पत्र के नवीनीकरण करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

उक्त सम्बन्ध सूचनीय है कि आपके अनुरोध पर आपको दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2027 तक कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-21, 28, 29, तथा 31 के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति का प्रमाण पत्र जारी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

मुख्य कारखाना / ब्वायलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

पत्र सं0 एफ / उक्त /

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक कारखाना / ब्वायलर देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

मुख्य कारखाना / ब्वायलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी

प्रमाण पत्र सं०- १४-एफ/ सं० प्र० उत्तराखण्ड /

धारा 21(2)- "खतरनाक मशीनें" / 2026 दिनांक- 12/02/26

सक्षमता का प्रमाण पत्र

(धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं, प्रकाश चन्द्र दुम्का, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा- 21 (2) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे "खतरनाक मशीनें" एवं ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हो के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये-

संस्था मै० के० आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी निदेशक धारा-21(2)

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक: 01.01.2026 से 31.12.2027 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे।
2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखानों में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
5. "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
6. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-१४-एफ/सं० प्र० उत्तराखण्ड/धारा-21(2)/खतरनाक मशीनें/2026 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
7. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के० आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
8. "सक्षम व्यक्ति"/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
9. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक /सैफ्टी आफिसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाय तथा प्रति उपरोक्त विन्दु संख्या-9 की सूचना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थान - हल्द्वानी।

दिनांक:- 12/02/26

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी

प्रमाण पत्र सं०- १४-एफ/ सं० प्र० उत्तराखण्ड /
धारा 28 "लिफ्ट हाईस्ट" / 2026 दिनांक:- 12/02/26

सक्षमता का प्रमाण पत्र

(धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं, प्रकाश चन्द्र दुम्का, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-28 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे लिफ्टों, उत्तोलकों, ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हो के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये:-

संस्था मै० के० आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के

श्री आलोक कुमार तिवारी

निदेशक

धारा-28

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक: 01.01.2026 से 31.12.2027 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

- 1 परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे।
- 2 परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
- 3 किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
- 4 संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखानों में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
- 5 "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
- 6 "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०.....१४.....एफ/सं० प्र० उत्तराखण्ड/धारा-28/लिफ्ट हाईस्ट /2026 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
- 7 परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के० आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- 8 "सक्षम व्यक्ति"/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
- 9 "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
- 10 कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक /सैप्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाय तथा प्रति उपरोक्त विन्दु संख्या-9 की सूचना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थान - हल्द्वानी।

दिनांक:- 12/02/26

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी।

प्रमाण पत्र सं० १४ एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड /
धारा-29 / लिफ्टिंग टैकिल्स / 2026 दिनांक - 12/02/26

सक्षमता का प्रमाण पत्र

(धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं, प्रकाश चन्द्र दुम्का, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा -2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-29 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग टैकिलों ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हो के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये-

संस्था मै० के० आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी निदेशक धारा-29 को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता देता हूँ। यह प्रमाण पत्र दिनांक: 01.01.2026 से 31.12.2027 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे।
2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
5. "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
6. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं० 14 एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड/धारा-29 लिफ्टिंग टैकिल्स/2026 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
7. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के० आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
8. "सक्षम व्यक्ति"/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
9. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक /सैफटी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाय तथा प्रति उपरोक्त विन्दु संख्या-9 की सूचना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थान - हल्द्वानी।

दिनांक:- 12/02/26

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी।

प्रमाण पत्र सं० १४ एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड/
धारा-31/“प्रोप्लान्ट”/2026 दिनांक- 12/02/26

सक्षमता का प्रमाण पत्र (धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं, प्रकाश चन्द्र दुम्का, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा -31 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे प्रो प्लान्ट ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हों के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये:-

संस्था मै० के० आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के
श्री आलोक कुमार तिवारी निदेशक धारा-31

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ “सक्षम व्यक्ति” की मान्यता देता हूँ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक: 01.01.2026 से 31.12.2027 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे।
2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
5. “सक्षम व्यक्ति” के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
6. “सक्षम व्यक्ति” द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं० १४ एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड/धारा-31/प्रो प्लान्ट /2026 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
7. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के० आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
8. “सक्षम व्यक्ति”/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
9. “सक्षम व्यक्ति” द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक /सैप्टी आफिसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाय तथा प्रति उपरोक्त विन्दु संख्या-9 की सूचना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थान - हल्द्वानी।

दिनांक:- 12/02/2026

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।